दिनांक :– 04.01.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री महेन्द सिह पुत्र नन्दराम जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द जरिये अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह यादव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर संबंधित पत्रावली को तलब की गई। पत्रावली तलब करने के पश्चात राजस्व लिपिक की रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट मूल पत्रावली संख्या 29/2016 निणर्य दिनांक 14.10.2016 एवं मुताबिक दिनांक 14.07.2015 में पूर्व में जारी निर्णय में उक्त प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के खसरा नम्बर 790, 791 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर में नियमानुसार उपलब्ध डी.एल.सी दर के दो गुणा राशी प्रार्थी द्वारा तहसीलदार मुण्डावर को जमा कराने के स्थिति में कायम राजस्व रिकोर्ड रास्ता होने के बाबत आदेश होने की स्थिति में इस न्यायालय के पत्रांक 1761 दिनांक 29.12.2015 द्वारा तहसीलदार मुण्डावर को जारी पत्रांक की पालना के द्वारा तहसीलदार मुण्डावर राशी 70420 रूपये जरिये जी.ए. 55 रसीद बुक नम्बर 0065 दिनांक 18.01.2016 द्वारा जमा राजकोष की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये बैक खाता भूगतान किये जाने के नोटिस दिये जाने के उपरान्त अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर में अपील लम्बित होने का हवाला देते हुए खाता नम्बर नही दिये जाने की तामिलि रिपोर्ट प्राप्ति अनुसार उक्त राशी का भूगतान अप्रार्थीगण को नही हो सका तत्पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 26.05.2016 के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 14.07.2015 का निर्णय निरस्त करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः न्याय संगत निर्णय पारित किये जाने के निर्देश के साथ पत्रावली प्राप्त होने पर विधिवत रूप से बाद सुनवाई दिनांक 14.10.2016 में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में रास्ते के बाबत जमा राशी के अलावा राशी 45640 रूप्ये और राजकोष में जमा कराई जाने के आदेश जारी किये जाने पर जरिये पत्रांक 2448 दिनांक 25.10.2016 द्वारा निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी किये जाने पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार मुण्डावर के जरिये जी.ए. 55 रसीद बुक की रसीद संख्या 0079 दिनांक 27.10.2016 द्वारा उपरोक्त राशि 45640 रूपये जमा राजकोष कराई गई। इस प्रकार राशी 45640 रूपये एवं पूर्व में जमा राशि 70420 रूपये कुल राशि 115880 (एक लाख पन्द्रह हजार आठ सौ अस्सी केवल) मात्र जमा राजकोष रही है तथा उक्त निर्णय दिनांक 14.10.2016 की अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर में की गई जो दिनांक 24.01.2 को अपील खारीज कर पूर्व निर्णय यथावत रखा गया। जिसकी अपील अप्रार्थी के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कि गई। जिसकी सुनवाई के दौरान पक्षकार में राजीनामा हो गया। इसलिए दिनांक 2019 को अप्रार्थीगण ने अपनी निगरानी को नोट प्रेस में खारीज करा ली। प्रार्थी का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कार्य कर दिया गया एवं अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वयं की भूमि का बैयनामा करा दिया।

श्री महेन्द सिह पुत्र नन्दराम जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द जरिये अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह यादव के प्रार्थना पत्र, उक्त मूल पत्रावली संख्या 29/2016 व राजस्व लिपिक की रिपोर्ट का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Sing
Rajawat
Date: 2021.07.29 13:02:39 IS
Reason: SelfAttested

किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि उभयपक्षकार में राजीनामें के कारण प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार मुण्डावर के कार्यलय के राजकोष जमा राशि उपरोक्त रसीद संख्या के अनुसार कुल राशि 115880 (एक लाख पन्द्रह हजार आठ सौ अस्सी केवल) रूपये लौटाया जाना सही है।

अतः तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये जाते है कि उक्त राशि को प्रार्थी श्री महेन्द सिह पुत्र नन्दराम जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द को नियमानुसार लोटाया जावे। अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली संख्या 29/2016 में शामिल हो। सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 5.1.21

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

13/1/21 पत्रावली प्रार्थी वकील के प्रा० पत्र के आधार पर पत्रावली पेश हुई मुताबिक प्रा० पत्र पर राजस्व लिपिक की रिपोर्ट ली गई उपरोक्त A में के जमा राशि 70420 एवं 45640 का योग रकम रु 115880 अंकित हो गया जबकी योग 116060 होना चाहिए। अत: निर्णय के अंकित योग के स्थान पर 116060 पढ़ा जावे। प्रा० पत्र शामिल पत्रावली हो

(हस्ताक्षर) 13.1.21

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:02:39 IST
Reason: SelfAttested